मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक:05.05.2026

थाना मड़िहान पुलिस द्वारा क्रूरता पूर्वक बांधकर पैदल जंगल के रास्ते वध हेतु ले जा रहे 12 राशि गोवंश बरामद, 02 गो-तस्कर गिरफ्तार—

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा वांछित/वारण्टी/इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं गो-तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देश के क्रम मे जनपद में गो-तस्करी तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में दिनांक: 04.05.2026 को थाना मड़िहान पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना मड़िहान क्षेत्रांतर्गत गोरथरा जंगल के पास से 02 अभियुक्तों 1-ललीत गौड़ पुत्र पारस गौड़ व 2-सूरज गौड़ पुत्र रमेश गौड़ निवासीगण ग्राम गोरथरा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा क्रूरता पूर्वक बांधकर मारते-पीटते हांक कर जंगल के रास्ते वध हेतु ले जाये जा रहे 12 राशि गोवंशो को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-81/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1-ललीत गौड़ पुत्र पारस गौड़ निवासी ग्राम गोरथरा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर, उम्र 20 वर्ष।

2-सूरज गौड़ पुत्र रमेश गौड़ निवासी ग्राम गोरथरा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर ,उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी विवरण-

12 राशि गोवंश।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-81/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक बालमुकुन्द मिश्रा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

****